जनपद गाजियाबाद   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 21.04.19

<u>जुँआ खेलते हुए 6080/-रुपये व 52 ताश सहित 08 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u> थाना विजयनगर पुलिस द्वारा दिनांक 20.4.19 को समय 23.30 बजे कमल हॉल ग्राऊन्ड के पास से अभियुक्त 1- अशोक पुत्र रामफल 2- वेदपाल पुत्र शौलाद 3- विरेन्द्र पुत्र सुखचन्दी 4-जयवीर पुत्र सौराज 5-अजय पुत्र मदन 6-महेश पुत्र हरीश 7-शीतल पुत्र रामरत्न 8- शिवकुमार पुत्र मनसुखलाल समस्त निवासीगण क्रिशननगर बागूपुरा थाना विजयनगर गा0बाद को जुँआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है , जिनके कब्जे से 6080/- रुपये नगद व 52 पत्ते ताश बरामद हुए है।

<u>एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी का एक टैंम्पो बरामदः-</u> थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 20.4.19 को समय 21.00 बजे शाहपुर बम्हैटा के पास से अभियुक्त अहमद पुत्र अलीम निवासी सहुल विहार थाना विजयनगर गा0बाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक टैंम्पो पी0आर0वी0- 2143 के सहयोग से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

<u>चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 शातिर चोर गिरफ्तारः-</u> थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 20.4.19 को समय 23.00 बजे डासना अन्डर पास से अभियुक्त जुल्फकार पुत्र इक्लॉक निवासी मौ0 बाजीग्रान डासना थाना मसूरी गा0बाद को गिरफ्तार किया है , जिसके कब्जे से चोरी की एक डिस्कवर मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है।

<u>थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17.4.19 को हुई एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा एक अभियुक्त गिरफ्तार हत्या मे प्रयुक्त एक बलेड नुमा चाकू बरामदः-</u> दिनांक 17.04.2019 को वादी श्री तेजपाल सिंह पुत्र छिद्दामल निवासी सीकरी कलाँ मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा अपनी वृद्ध माँ सावित्री देवी उम्र करीब 75 वर्ष की गला काटकर निर्मम हत्या करने के सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पर मु0अ0सं0-372/19 धारा-302 भादवि बना म अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। उक्त निर्मम हत्या का खुलासा करते हुए थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 20.4.19 को राजबीर उर्फ राजू पुत्र दलीप सिंह निवासी खत्रीवाडा थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर (उम्र करीब 37 वर्ष) वर्तमान पता-सीकरी फाटक मोदीनगर गाजियाबाद (वादी का साला) को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है । उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त (वादी का साला) ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 16.04.19 की रात्रि मे लगभग 11.00 बजे रात को मै सावित्री के घर की दीवार कूदकर अन्दर गया तो वह मुझे देखकर गाली गलौच व शोर मचाने लगी क्योकि मै शराब के नशे मे था तो मैने उसे *एक ब्लेडनुमा चाकू* से डराते हुये चुप रहने को कहा लेकिन वह फिर भी चिल्लाने लगी। मैने उसे जान से मारने की धमकी दी लेकिन वह चुप नही हुई तो मैने उसके गले पर एक ब्लेडनुमा चाकू से वार कर गला काट दिया था। सावित्री जिन्दा न रह जाये इसलिये मैने उसके दोनो हाथो की नश भी काट दी थी और 15-20 मिनट उसके पास ही बैठा रहा जब तक कि मुझे विश्वास नही हुआ कि वृद्ध महिला सावित्रि मर चुकी है फिर मै वहाँ से भाग गया था ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः</u>

राजबीर उर्फ राजू पुत्र दलीप सिंह निवासी खत्रीवाडा थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर (उम्र करीब 37 वर्ष) वर्तमान पता-सीकरी फाटक मोदीनगर गाजियाबाद **(वादी का साला)**

<u>विवरण बरामदगी-</u>

हत्या मे प्रयुक्त ब्लेडनुमा चाकू

<u>थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक19.04.19 को फिरौती मांगने को लेकर गोली मारने की घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक तमन्चा व एक चाकू बरामद</u>–दिनांक 19.04.2019 को मोती मस्जिद के पास नमाज पडकर निकल रहे व्यक्ति नदीम उर्फ नली को दिनदहाडे फिरौती मांगने को लेकर गोली मारकर घायल कर दिया था, जिस सम्बन्ध में थाना

कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 309/19 धारा 386,307,504 भादवि बनाम 04 अभियुक्त नामजद पंजीकृत हुआ था उक्त घटना का खुलासा करते हुऐ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तो गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमन्चा नाजायज 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस 32 बोर व एक चाकू नाजायज बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 314/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इमरान उर्फ डमरिया व मु0अ0सं0 315/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-</u>

1- इमरान उर्फ डमरिया पुत्र हमीद नि0 हिण्डन विहार थाना साहिबाबाद गा0बाद

2- रिजवान पुत्र सलीम नि0 मुखत्यार होटल के पास कैला भटटा थाना कोतवाली नगर गा0बाद।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- एक तमन्चा 32 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 32 बोर।

2- एक चाकू।

<u>अभियुक्त इमरान उर्फ डमरिया पुत्र हमीद का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 1370/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिहानीगेट गा0बाद।
2. मु0अ0सं0 1371/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट गा0बाद।
3. मु0अ0सं0 309/19 धारा 386,307,504 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
4. मु0अ0सं0 314/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।

<u>अभियुक्त रिजवान पुत्र सलीम का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 350/13 धारा 307,323 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
2. मु0अ0सं0 149/17 धारा 386,307,504 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
3. मु0अ0सं0 150/17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
4. मु0अ0सं0 238/18 धारा 147,148,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
5. मु0अ0सं0 838/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
6. मु0अ0सं0 309/19 धारा 386,307,504 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
7. मु0अ0सं0 315/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।

<u>**चोरी के 1000/-रुपये सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-**</u> थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 21.4.19 को समय 6.05 बजे पराने बस अड्डे के पास से अभियुक्त मनोज पुत्र प्रेमकुमार निवासी 390 मालीवाडा थाना सिहानीगेट गा0बाद को गिरफ्तार किया है,जिसके कब्जे से मु0अ0सं0-422/19 धारा 380/457/411 भादवि थाना सिहानीगेट से सम्बन्धित चोरी के 1000/- रुपये बरामद हुए है।